ओ३म्

महर्षि द्वारा निर्मित आर्यसमाज के उपनियम

१. आर्यसमाज चारों वेदों के मूल, अर्थात ऋग्०, यजु०, साम० तथा अथर्व० को लौकिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान का आसाधारण रूप से मूल स्रोत है ऐसा स्वीकार करता है (ब्राहमण ग्रन्थ) छः दर्शन (दर्शनशास्त्र के ६ वैचारिक रूप) ११२७ वेद की शाखाएं, अष्टाध्यायी तथा व्याकरण का महाभाष्य, दस उपनिषद, अर्थात ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डमूक, ऐतरेय, तैतरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक को वेदों की व्याख्या के रूप में स्वीकार करता है। साथ ही आर्यों की शिक्षा पद्धति तथा इतिहास के रूप में भी, जहाँ तक सब वेद के विचारों के अनुकूल है इनको , साधारण अधिकृत ग्रन्थों के रूप में स्वीकार करता है।

२. कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष से कम नहीं है, जो चरित्रवान है तथा आर्यसमाज के मूलभूत सिद्धान्तों में विश्वास रखता है आर्यसमाज के आर्य के रूप में सदस्यता के लिए योग्य माना जाएगा यदि कोई सदस्य आर्यसमाज के कार्य में प्रथम वर्ष में साधारण सदस्य के रूप में अधिक रुचि लेता है और मासिक अथवा वार्षिक अपनी आय का एक प्रतिशत या अधिक सदस्यता शुल्क के रूप में देता है तब वह 'आर्य सदस्य' के रूप में आर्यसमाज की कार्यकारिणी की बैठकों में अपना मत भी देने का अधिकारी होगा। जो आर्यसमाज के सिद्धान्तों का दृढ़ता से पालन नहीं करेगा, वह अपने अधिकार से वंचित हो जाएगा।

३. वह जो दस रुपये मासिक या अधिक अथवा अपनी आय के शतांश के रूप में अथवा एक मुस्त २५०/- रुपये का सहयोग देता है अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने में तीव्र है तथा अपना प्रभाव रखता है, वह आर्यसमाज का सक्रिय सदस्य माना जाएगा।

४. आर्यसमाज की बैठक सप्ताह में एक बार होगी, जिसमें वैदिक प्रार्थना

होगी शारीरिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर तथा वेद मन्त्रों की व्याख्या के रूप में व्याख्यान भी होंगे । सामवेद के आधार पर देव परक गीत भी व्याख्यान से पूर्व तथा पश्चात् होंगे । जब सम्भव हो वाद्ययन्त्रों की सहायता से किया जाए । इस अवसर पर जो कहने योग्य बात अथवा सूचना आदि हो, वह भी दी जाएगी ।

५. आर्य समाज की वार्षिक बैठक भी वर्ष में एक बार वार्षिक अधिवेशन के रूप मे होगी । इसमें कार्यकारिणी के सदस्यों का, कार्यालय के अधिकारियों का चुनाव होगा । गत वर्ष के आर्यसमाज के कार्य की रिपोर्ट (वार्षिक कार्य विवरण) को पढ़ा जाएगा । इस अधिवेशन को मनाने की तिथि की घोषणा एक मास पूर्व कर दी जाएगी ।

६. प्रधान की प्रर्थना पर असाधारण बैठक को भी बुलाया जाएगा । मन्त्री, कार्यकारिणी के सदस्य तथा आर्यसमाज के कुल सदस्यों का २० वां भाग जब भी विशेष कार्य के लिए आवश्यक हो, ऐसी बैठक का आयोजन कर सकेंगे । इसकी सूचना दिवस और समय के साथ पूर्व रूप में दी जाएगी ।

७. आध्यात्मिक तथा धन संबंधी कर्तव्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व कार्यकारिणी का होगा । इसमें आर्यसमाज के अधिकारी तथा आर्य सदस्यों के प्रतिनिधि होंगे । सदस्य अपने - अपने दल के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे । कोई भी दल अपने प्रतिनिधियों को जब भी चाहे बदलने का अधिकारी होगा ।

८. प्रतिनिधित्व करने वाले के कर्तव्य

१. अपने दल के विचार को, प्राप्त करना ।

२. ऐसे सब कार्यकारिणी के प्रस्तावों की सूचना अपने दल के लोगों तक पहुंचाना, जो आवश्यक हों ।

३. अपने दल के लोगों का शुल्क एकत्रित कर समाज के कोषाध्यक्ष तक पहुंचाना ।

९. आर्यसमाज के प्रतिष्ठित सदस्यों का चुनाव वार्षिक अथवा विशेष अधिवेशन में होगा । कार्यकारिणी के कुल सदस्यों की संख्या के तिहाई भाग से इन प्रतिष्ठित सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए ।

१०. प्रतिष्ठित सदस्यों का चुनाव तथा अधिकारियों का चुनाव वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक में होना चाहिए। बैठक में पूर्व प्रतिष्ठित आर्य सदस्य और पूर्व अधिकारी दोबारा चुना जा सकता है।

११. कार्यकाल के मध्य में यदि किसी प्रतिष्ठित अथवा आर्य सदस्य अथवा अधिकारी का स्थान रिक्त हो जाए तो कार्यकारिणी को अधिकार है कि किसी योग्य व्यक्ति को उसके रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चुन ले।

१२. विशेष कार्यों के निपटाने अथवा विचार के लिए कार्यकारिणी को उप-समिति बनाने का अधिकार होगा।

१३. कार्यकारिणी का सदस्य प्रधान की सहमति से, एक सप्ताह पूर्व किसी प्रश्न को उपस्थित करने के लिए मन्त्री महोदय को सूचित कर सकता है। यदि कार्यकारिणी के पाँच सदस्य उस प्रश्न को उठाने के लिए सहमत हो जाएं तो यह निश्चित रूप से सभा के समक्ष रखा जाएगा।

१४. कार्यकारिणी की बैठक प्रधान की सहमति से प्रत्येक पाक्षिक होगी। परन्तु कार्यकारिणी के ५ सदस्य अन्य किसी समय चाहें तो मन्त्री को कहकर बैठक बुलाई जा सकती है।

१५. अधिकारी वर्ग में १. प्रधान, २. उप-प्रधान, ३. मन्त्री, ४. कोषाध्यक्ष तथा ५. पुस्तकालयाध्यक्ष होगा। आवश्यकता होने पर कार्यकारिणी उप-मन्त्री, उप-कोषाध्यक्ष तथा उप-पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकती है और उनमें कार्य का विभाजन किया जा सकता है।

प्रधान के कर्तव्य :—

१६. आर्यसमाज की बैठकों का अध्यक्ष होगा, आर्यसमाज की गतिविधियों का ठीक-ठाक प्रबन्ध में निर्देश करेगा। यदि कोई कठिनपरिस्थिति अथवा आवश्यक बात हो तो उसे उस पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। वह उसके लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यकारिणी के द्वारा बनाई गई सभी उप-समितियों का सदस्य होगा।

१७. प्रधान की अनुपस्थिती में उप-प्रधान ही अध्यक्षता करेगा। यदि एक से अधिक उप-प्रधान हों तो उस परिस्थिति में वरिष्ट उप-प्रधान कार्यकारिणी की सहमती से अध्यक्षता करेगा। उप-प्रधान का मुख्य

कार्य प्रधान को प्रत्येक कार्य में सहयोग देना होगा ।

मन्त्री के कर्तव्य :—

१८. कार्यकारिणी के आदेश के अन्तर्गत कार्य करते हुए मन्त्री सभी पत्र व्यवहार करेगा, प्राप्त तथा भेजे गए पत्रों का समस्त विवरण और बैठकों की कार्यवाहियों को ठीक प्रकार से रखेगा ।

समाज में प्रविष्ठ लोगों की सूची को मासिक बैठक में सुनाएगा उन लोगों के नाम भी पढ़ेगा जिन्होंने गत मास त्याग पत्र दे दिया है ।

आर्यसमाज की समस्त व्यवस्था पर अपना अधिकार रखेगा । और इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आर्यसमाज के सिद्धान्तों, नियमों तथा उपनियमों का दृढ़ता से पालन होता है ।

कार्यकारिणी के द्वारा गठित उप-समिति के आदेशों के अन्तर्गत वह विद्यालय का यदि वह आर्य समाज से सम्बन्धित है, तो प्रबंन्ध को भी अपने हाथ में लेगा । इन विद्यालयों में वैदिक दर्शन तथा प्राचीन ऋषियों के ग्रन्थों का ज्ञान दिया जाएगा । उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो आर्यसमाज का सदस्य है वह अपने दल के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यकारिणी से जुड़ा है प्रत्येक सदस्य को उनकी योग्यता प्रतिष्ठा के अनुरूप आदर देगा, अपनी उपस्थिति एवं समय का पूर्ण पालन करेगा, सभा की समाप्ति तक आर्यसमाज में उपस्थित रहेगा ।

कोषाध्यक्ष के कर्तव्य :—

१९. आर्यसमाज को प्राप्त धन की रसीद देगा तथा उसका ठीक-ठीक हिसाब रखेगा ।

कोई धन कार्यकारिणी की स्वीकृति के बिना नहीं देगा । प्रधान और मन्त्री को भी उनको व्यय के लिए अधिकृत राशि से अधिक नहीं देगा ।

आर्यसमाज का वही अधिकारी जिसके द्वारा धन को व्यय किया गया है उसके लिए उत्तरदायी होगा ।

आय-व्यय के पूर्ण व्योरे का हिसाब रखेगा तथा मासिक बैठक में उसे निरीक्षण तथा लेखा परीक्षण के लिए उपस्थित करेगा ।

पुस्तकालयाध्यक्ष :--

२०. आर्यसमाज के वाचनालय की पुस्तकों का और क्रय तथा विक्रयार्थ पुस्तकों का रक्षक होगा । वाचनालय के पुस्तकों की सूची तथा ठीक-ठीक विवरण रखेगा । विक्रयार्थ पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त धन को प्राप्त करेगा और क्रय की गई पुस्तकों के लिए धन प्रदान करेगा । वह आर्यसमाज के सदस्यों को पुस्तकें पढ़ने के लिए देगा भी और पुनः उनसे प्राप्त भी करेगा ।

२१. निम्न परिस्थितियों में आर्यसमाज के सदस्यों की लिखित परामर्श प्राप्त करना आवश्यक होगा -

क- साधारण सभा के द्वारा प्रस्ताव पर कार्यान्वन नहीं होने की अवस्था में कार्यकारिणी सभा को लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

ख- आर्यसमाज के ५ प्रतिशत सदस्य या अधिक किसी विषय के लिए मन्त्री को लिखित रूप दे सकते हैं ।

ग- कोई भी सुझाव जिसमें भारी व्यय, प्रबंन्ध, नियम या प्रस्ताव बनाने की आवश्यकता हो ।

घ- कार्यकारिणी यदि आर्यसमाज के सदस्यों की राय जानना चाहे ।

२२. कार्यकारिणी को किसी अधिकारी की अनुपस्थिति में किसी योग्य /अस्थाई रूप से कार्यान्वन के लिये चुनने का अधिकारी होगा ।

२३. यदि वार्षिक बैठक में किसी अधिकारी का चुनाव सम्पन्न न हो सके तो पूर्व अधिकारी नई नियुक्ति तक कार्य करता रहेगा ।

२४. आर्यसमाज की बैठकों का ठीक-ठीक अभिलेख रखा जाएगा और आर्यसमाज के सदस्यों को उन्हें पढ़ने का अधिकार होगा ।

२५. सदस्यों का तिहाई भाग उपस्थित होने पर ही सभी प्रकार की बैठकों की कार्यवाही सम्पन्न हो सकेगी ।

२६. सभी प्रस्ताव जो बैठक में लाए जाएंगे बहुमत से पारित किए जाएंगे ।

२७. आर्यसमाज की आय का दसवां भाग सुरक्षित निधि के [illegible] में रखा जाएगा।

२८. आर्य समाज के सभी सदस्य संस्कृत अथवा आर्य भाषा को जानते हों।

२९. आर्यसमाज के सदस्यों के यहाँ विवाह या सन्तान उत्पत्ति अथवा कोई बड़े लाभ की बात हो तब आर्यसमाज को दान देंगे।

३०. आर्यसमाज के सब सदस्यों का कर्तव्य है कि किसी भी कष्ट या दु:ख आने पर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करें। परन्तु किसी शुभ अथवा प्रसन्नता के अवसर पर यदि निमन्त्रित किये जाएं तो सम्मलित हों। छोटे बड़े का कोई विचार न रखा जाए।

३१. किसी सदस्य के माता-पिता का देहान्त हो जाए, सदस्य की मृत्यु से पत्नि विधवा हो जाए या बच्चे अनाथ हो जाएं और उनकी आजीविका का कोई साधन न हो तब आर्यसमाज इस बात को सुनिश्चित करे कि यथासंभव उनकी सहायता की व्यवस्था हो सके।

३२. किसी प्रकार का मतभेद सदस्यों में उत्पन्न हो जाए तो आपस में मिल बैठकर सुलझावेंगे अथवा आर्यसमाज की उप समिति निपटारा करेगी।

३३. सदस्य एक दूसरे के साथ अत्यन्त प्रेम का व्यवहार करें और आर्यसमाज के हित में एक दूसरे को आदर दें सब प्रकार की दल बन्दी के भाव से ऊपर उठकर व्यवहार करें। असंगठित करने वाले ईर्षा, द्वेष और क्रोध से दूर रहें।

३४. आर्यसमाज के प्रत्येक सदस्य से आशा की जाती है कि अपने निजी ऐश्वर्य संपदा अथवा जीवन के मूल्य पर भी आर्यसमाज के अधिकारों की रक्षा, उसके हित तथा गरिमा की वृद्धि के लिए, जो भी आर्य समाज से संबंधित है अपनी पूर्ण शक्ति लगा देगा।

आभार - जे० टी० एफ० जोरडनस
की अंग्रेजी पुस्तक
''दयानन्द सरस्वती हिज लाइफ एंड आईडियाज'' - से